रीवा कैम्प

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा (कैम्प)

लाल कुमार सिंह पिता रामचन्द्र सिंह बैस निवासी ग्राम इटार, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म०प्र०) ------आवेदक

बनाम

1– रामलाल पिता रामजी बैस

2– रामवदन पिता जयमंगल प्रसाद बैस

3– रामचन्द्र पिता सीताराम बैस

सभी निवासी ग्राम इटार, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म०प्र०)

------अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला सिगरौली के प्रकरण कमांक–314 / निगरानी / 10–11 में पारित आदेश दिनांक 29 / 12 / 11

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959 ई०

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि वादित भूमियां आवेदक के पितामह सीताराम के निजी खाते की भूमियां थी जो उन्हे हिस्साबांट प्राप्त हुई थी तथा सीतराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र व अपीलार्थी के पिता रामचन्द्र के नाम नामांतरित हुई थी। जिन भूमियों को अनावेदक क्र0–1 ने आवेदक की बिना जानकारी के चोरी–चोरी पीठ पीछे नमांतरण पंजी कमांक–11 में पारित आदेश दिनांक 04 / 06 / 07 के द्वारा अपने नाम करा लिया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय में की गई जो निरस्त कर देने से परिवेदित होकर निगरानी कलेक्टर महोदय के यहां की गई जो अस्वीकार कर दिये जाने से पीड़ित होकर यह निगरानी श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

अनावेदक क्र० 3 के वारिस

1 रामकली पत्नी स्व० रामचंद्र बैस
2. वीणा देवी पुत्री स्व. रामचंद्र बैस
3 संतोष कुमार तनय स्व. रामचंद्र बैस
4. मनोज कुमार तनय स्व. रामचंद्र बैस

सभी निवासी ग्राम इटार तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०

— अनावेदकगण

भारतीय पक्षकार/
नरेन्द्र सिंह
कुमार

XXXIX(a)-BR(H)-11

(32)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–991-I/12** जिला–सिंगरौली

लाल कुमार सिंह/रामलाल वैश्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 314/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	